

# प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 09.11.2024

## हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष सहजनवां के नेतृत्व में 30नि0 विनोद कुमार मय हमराह 30नि0 वैभव मिश्रा मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 722/2024 धारा 109,115(2),351(2),352 भा0न्या0सं0 बढ़ोत्तरी धारा 103(1) भा0न्या0सं0 से संबंधित वांछित अभियुक्त विशाल मल्ल को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.11.2024 को रास्ते को लेकर अभियुक्तगण द्वारा लाठी डण्डा तथा धारदार हथियार से वादी मुकदमा व वादी मुकदमा के पुत्र को जान से मारने की नियत से मारा पीटा गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया। दिनांक 08.11.2024 को ईलाज के दौरान वादी मुकदमा के पुत्र के मृत्यु हो गयी जिसके संबंध में मुकदमा उपरोक्त में 103(1) भा0न्या0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विशाल मल्ल पुत्र विनोद मल्ल निवासी ग्राम देवापार डुगडुईया थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 722/2024 धारा 109,115(2),351(2),352 भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा 103(1) भा0न्या0सं0 थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

### गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष विशाल कुमार उपाध्याय थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 विनोद कुमार थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
3. 30नि0वैभव मिश्रा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
4. कां0 रजनीश गुप्ता थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर